कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ

पत्र संख्याःन–42/एफएस–2020 दिनांकः अगस्त,26 2021

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक
तथागत पब्लिक स्कूल,
सूगामऊ, इन्दिरा नगर,
लखनऊ।

विषयः तथागत पब्लिक स्कूल, सूगामऊ, इन्दिरा नगर, लखनऊ को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक 18.8.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकः 09.09.2015 के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष एन.बी.सी. 2005 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार विद्यालय भवन का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी इन्दिरा नगर द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनके आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल भूखण्ड एरिया 4050 वर्गमीटर है।

2–भवन तक सभी प्रकार के वाहन आसानी से पहुंच सकते है।

3–भवन भूतल, प्रथम व द्वितीय तल तक निर्मित है। प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया 485.00 वर्गमीटर है।

4–भवन में 01 स्टेयर केस 1.50 मीटर चौड़ाई का उपलब्ध है तथा 1.50 मीटर चौड़ाई का एक स्टेयर केस प्रस्तावित है।

5–भवन की ऊंचाई–9.30 मीटर है।

उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थायें–

1–विद्यालय भवन में 10 अदद ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में उपलब्ध हैं, जिसका टेस्टिंग फीस ट्रेजरी के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया गया।

2– विद्यालय भवन में होजरील प्रत्येक तल पर कार्यशील दशा में अधिष्ठापित है।

3– विद्यालय भवन में डाउनकमर कार्यशील दशा में उपलब्ध है।

4–भवन के टेरिस पर 5000लीटर क्षमता का टेरिस टैंक उपलब्ध है।

5– टेरिस टैंक के पास 450 एलपीएम क्षमता का टेरिस पम्प अधिष्ठापित है।

6–विद्यालय भवन में एक्जिट साइनेज की व्यवस्था उपलब्ध है।

7– विद्यालय भवन में पी0ए0 सिस्टम उपलब्ध है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी इन्दिरा नगर, लखनऊ की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर तथागत पब्लिक स्कूल, सूगामऊ इन्दिरा नगर, लखनऊ भवन को उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निम्न शर्तो के अधीन निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण किया जाता है।

1. भवन स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाये।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये/किये जाने पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।
5. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन उपकरणों के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. विद्यालय भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है इन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को नहीं बैठाया जायेगा।
8. विद्यालय में भोजन एवं मिड डे मील आदि भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टीन शेड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जायेगा।
9. विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
10. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव अथवा लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।
11. उक्त शर्तो/निर्देशों का उल्लघंन करने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

24/08/2021

(ए0बी0 पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपिः–

1. अग्निशमन अधिकारी, इन्दिरा नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।